93

प्रेषक,

संख्या– 04/IX/2012/108/2010टी0सी0

पी0सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 16 मार्च, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में नागरिक उड्डयन विभाग को पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2050/01/(तीन) लेखा/बजट/2011–12 दिनांक 01 मार्च, 2012, शासनादेश संख्या– 03/IX/06/2011दिनांक 07 अप्रैल, 2011, शासनादेश संख्या–05/IX/108/2010 दिनांक 25 अप्रैल, 2011, शासनादेश संख्या–DFA/IX/108/2010 दिनांक 18 मई, 2011,शासनादेश संख्या–10/ IX/ 2011/108/2010 दिनांक 12 जुलाई, 2011,एवं शासनादेश संख्या–18/IX/2011/108/2010 दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक के अन्तर्गत नागरिक उड्डयन विभाग की विभिन्न मदों में रू0 73,10,000.00(रू0 तेहत्तर लाख दस हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र में उल्लिखित बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

I– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

II– उक्तानुसार आवंटित धनराशि किसी अन्य मद में व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अर्न्तगत शासन या अन्य समकक्ष अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।

III– इस सम्बन्ध में व्यय करते समय बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका और स्टोर पर्चेज रूल्स डी0जी0एस0 एण्ड डी0 मितव्ययता के नियमों में समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

IV– जो देयक प्री आडिट में आ गये हैं उनकी प्री आडिट वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड –5 के भाग–1 के नियम 74 के अनुसार पूर्व सम्परीक्षा करके ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

V– उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नही किया जायेगा।

VI– स्वीकृत की जा रही धनराशि के केवल लम्वित देयताओं का ही भुगतान किया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2012 तक उपयोग

कर लिया जायेगा अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

2— इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के अनुदान संख्या—24 के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखा शीर्षक 3053—नागर विमानन—80 —सामान्य —003 — प्रशिक्षण तथा शिक्षा—03 नागरिक उड्डयन के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0—15 में उल्लिखित मदो के नामें डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोजन संलग्न प्रपत्र बी0एम0—15 के स्तम्भ 4 की बचतों से किया जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—113/XXVII(2)/2012 दिनांक 16 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नकः प्रपत्र—बी0एम0—15

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या—04 (1)/IX/2012/108/2010 टी0सी0तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेश, सी—1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (ए एण्ड ई) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा) 6/3
प्रमुख सचिव।

आय व्ययक प्रपत्र– B.M.–15 पुर्नविनियोग 2011–12

अनुदान संख्या–24 आयोजनेत्तर से आयोजनेत्तर

नियत्रंक अधिकारी–प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन,प्रशासनिक विभाग–प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखण्ड शासन, (धनराशि रू0 हजार रूपये में)

बजट प्राविधानित लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखा शीर्षक, जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है	पूनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (कालम 1 में अवशेष)	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
3053–नागर विमानन 80–सामान्य 00–आयोजनेत्तर आयोजनेत्तर 003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03–नागरिक उड्डयन–00–				3053–नागर विमानन 80–सामान्य आयोजनेत्तर 003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03–नागरिक उड्डयन–00–			1–(क) (ख) (ग) (घ) एवं (ड) आवश्यकता न होने से। 2–(च) (छ) (ज) (झ) एवं (अ) बजट प्राविधान से अधिक व्यय की आवश्यकता होने के कारण।
01–वेतन रू0 6000	3497	2193	310 (क)	06–अन्य भत्ते रू0 –310	772	5690	
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व रू0 250	06	04	240 (ख)	05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय रू0–145	165	10	
44–प्रशिक्षण व्यय रू0 1000				15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद रू0 –300			
16–व्याव0 तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान रू0 20000	36	504	460 (ग)	18–प्रकाशन रू0 –200	730	540	
31–सामाग्री सम्पूर्ति रू0 6000	11326	3774	4900(घ)	42–अन्य व्यय रू0 –6355	300		
					18355	15100	
	4039	561	1400(ड)			4600	
योग 33250	18904	7036	7310	7310	20322	25940	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद–150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लघन नहीं होता है।

(पी0 सी0 शर्मा) 16/3
प्रमुख सचिव।

Statement

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्या 113/XXVII(2)/2012
देहरादूनः दिनांक 16 मार्च, 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृत–
(कुंवर सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

संख्या –04/IX/108/2010 टीसी तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– निदेशक, राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी देहादून।
3– वित्त अनुभाग–2 ।

(पी0सी0शर्मा) 16/3
प्रमुख सचिव।

Statement